छत्तीसगढ़ शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

2010—11

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन
2010—2011

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

माननीय श्री राजेश मूणत जी	—	मंत्री
श्री आर.पी.मंडल (IAS)	—	सचिव
श्री हेमंत पहारे (IAS)	—	उप सचिव

●

विभागाध्यक्ष

श्री संजय शुक्ला (IFS) — आयुक्त सह संचालक

●

राज्य शहरी विकास अभिकरण

श्री संजय शुक्ला (IFS)	—	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
श्री प्रेम कुमार (IFS)	—	अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी

विभागीय प्रतिवेदन
भाग – एक

विभागीय संरचना

1. छत्तीसगढ़ शासन का नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग प्रदेश की नगरपालिक निगमों, नगर पालिका परिषदों, तथा नगर पंचायतों का प्रशासकीय विभाग है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन की योजनाएं भी इस विभाग के अधीन गठित राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा संचालित की जाती हैं। विभाग के अधीन स्थापित संचालनालय तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर/बिलासपुर में स्थापित है, जिसके लिए अमला स्वीकृत है। स्थानीय निकायों को उच्च तकनीकी एवं प्रशासकीय मार्गदर्शन तथा सेवायें उपलब्ध कराने के लिए संचालनालय के अधीन यांत्रिकी प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है तथा इसकी शाखाएं क्षेत्रीय स्तर पर संयुक्त संचालक रायपुर एवं बिलासपुर के कार्यालय में भी स्थापित हैं।

अधीनस्थ कार्यालय

1) संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर
2) संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर

2. शहरी गरीबी उपशमन की योजनाओं के संचालन व अनुश्रवण हेतु माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य शहरी विकास अभिकरण एवं जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यरत हैं। जिला शहरी विकास अभिकरण के कार्यों के संचालन हेतु परियोजना अधिकारी पदस्थ किए गए हैं, जिला मुख्यालयों में कलेक्टर द्वारा नामांकित डिप्टी/अपर कलेक्टर तथा जिला मुख्यालय स्थित नगरीय निकाय के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी पदेन परियोजना अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

नगरीय निकाय :—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 'थ' के अधीन वृहत्तर नगरीय क्षेत्र, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र तथा संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए क्रमशः नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद् तथा नगर पंचायत के गठन की व्यवस्था है। इस संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में गठित नगरीय निकायों की संख्या निम्नानुसार हैः—

क्रं.	निकाय	संख्या
1	नगर पालिक निगम	10
2	नगर पालिक परिषद्	32
3	नगर पंचायत	126
	कुल	**168**

संविधान के अनुच्छेद 243 'ब' के अधीन नगरीय निकायों को अनुसूची —XII में दर्शित दायित्वों का निर्वहन किया जाना है। नगरीय व्यवस्था के प्रबंधन एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु अनुच्छेद 243 'द' के अधीन प्रत्येक नगरीय निकाय हेतु जनता द्वारा चुनी गई नगर निगम / नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत की व्यवस्था है।

3. विभाग के अंतर्गत आने वाले मण्डल / उपक्रम / संस्थाओं का विवरणः—

1) राज्य शहरी विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़ रायपुर।
2) राज्य की 10 नगर निगम
3) राज्य की 32 नगर पालिकाएं
4) राज्य की 126 नगर पंचायतें

4. विभाग के दायित्व :—

इस विभाग को सौंपे गये प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं :—

1. नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित विषय।
2. तंग बस्ती सुधार योजनाओं का पर्यवेक्षण।
3. नगरीय क्षेत्रों में गरीबों के उन्नयन के लिए विशिष्ट योजनाएं तैयार करना तथा उनका पर्यवेक्षण।

4. छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम का क्रियान्वयन एवं पट्टों के दस्तावेजों का पर्यवेक्षण।
5. शहरी गरीबों के लिए आवास व्यवस्था का पर्यवेक्षण।
6. चुंगी क्षतिपूर्ति कर निधि का प्रशासन।
7. वित्त एवं सामान्य प्रशासन विभाग को आबंटित विषयों को छोड़कर विभाग के अधीन सेवाओं का कार्मिक प्रशासन आदि।

5. विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी :–

विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :–

1. छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23, सन् 1956)
2. छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961)
3. पशु अतिचार अधिनियम, 1971 (जहां तक वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों में लागू हो)
4. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों में लागू हो)
5. स्लाटर आफ एनीमल्स एक्ट (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों में लागू हो)
6. छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984
7. छत्तीसगढ़ गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) अधिनियम, 1976
8. छत्तीसगढ़ साईकिल रिक्शा (अनुज्ञाप्तियों का विनियमन) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 36 सन् 1984)
9. सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय संनिर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993

6. सामान्य या प्रमुख विशेषताएं :–

(1) वित्तीय प्रशासन :–

संविधान के अनुच्छेद 243 'भ' में करारोपण द्वारा राजस्व वसूली का अधिकार नगरीय निकायों को प्राप्त है। इस संवैधानिक व्यवस्था को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 132 एवं 127 में क्रमशः स्थापित किया गया है। निकायों को शासन द्वारा चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान तथा यात्रीकर विशेष अनुदान का भुगतान मासिक तौर पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त निकायों के स्तर पर प्रमुख रूप से निम्नांकित कर अधिरोपित किए जाते हैं:–

1.	संपत्ति कर	2.	समेकित कर
3.	जलकर	4.	बाजार शुल्क
5.	निर्यात कर		

नगरीय क्षेत्रों में संपत्तिकर के निर्धारण एवं वसूली की प्रक्रिया में अनुभव की गई कठिनाईयों को विचार में रखते हुए शासन द्वारा संपत्तिकर के स्व–निर्धारण की प्रक्रिया नगरीय क्षेत्रों में लागू की गई है। इसके अंतर्गत संबंधित निकायों द्वारा क्षेत्रवार अधिसूचित वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर करदाता स्वयं उसके द्वारा धारित संपत्ति पर देय संपत्ति कर का आंकलन, तथा तद्नुसार स्व–निर्धारण राशि निकाय के कोष में जमा करता है।

शासन द्वारा संपत्तिकर स्वनिर्धारण प्रक्रिया लागू करने के साथ ही सफाई कर, प्रकाश कर एवं अग्निकर के बदले वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर समेकित कर नगरीय क्षेत्रों में लागू किया गया है।

शासन को एक नगर निगम से दूसरे नगर निगम में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति पर करने के अधिकार हैं। साथ ही शासकीय सेवकों को भी निगमों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने के अधिकार है। नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायतों की स्थिति में राज्य नगरपालिका सेवा के सदस्य जिसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी, इंजीनियर और स्वास्थ्य अधिकारी आते हैं, को नियुक्ति करने की शक्ति शासन को प्राप्त है। शेष सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायतें सक्षम है।

(2) छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निधि :—

प्रदेश में नगरीय निकायों के योजनाबद्ध विकास हेतु छत्तीसगढ़ नगर विकास निधि नियम 2003 बनाया गया है। जिसके अध्यक्ष विभाग के माननीय मंत्रीजी हैं।

नगर विकास निधि के अंतर्गत दो खातों, न्यागमन खाता एवं अधोसंरचना खाते का संधारण किया जाता है। न्यागमन खाता अंतर्गत नियमित चुंगी क्षतिपूर्ति, यात्रीकर, मुद्रांक शुल्क, बार लायसेन्स एवं अन्य क्षतिपूर्ति के अनुदान को शामिल किया जाता है। जिससे नगरीय निकाय अपने स्वविवेक से खर्च करती है।

अधोसंरचना खाता अंतर्गत नियमित चुंगी क्षतिपूर्ति के बाद अतिरिक्त शेष राशि, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा, सड़क मरम्मत अनुरक्षण जैसे मद को शामिल कर निधि का निर्माण किया जाता है एवं इस राशि से निम्नानुसार कार्यो को संपादित किया जाता है :—

1) सड़कों से संबंधित कार्य, जिसमें उनके मरम्मत भी सम्मिलित हैं।
2) पीने के पानी की स्कीमों के लिए आवश्यक रकम में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला अनुदान भी शामिल है।
3) अग्निशमन सेवा सुधार।
4) किसी विशेष योजना, जो राज्य शासन द्वारा लागू की गई है।
5) कूड़ा—कचरा अपशिष्ठ का प्रबंधन।
6) नगरीय स्थानीय निकायों में मूलभूत सुविधाओं का विकास।

(3) निर्वाचन :—

74 वें संविधान संशोधन के अनुरूप राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम में स्थानीय निकायों के समय—सीमा में निर्वाचन कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके लिये छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए अधिनियम के अंतर्गत स्वतंत्र एजेंसी के रूप में कार्यरत है।

7. मेयर/प्रेसीडेंट—इन कौंसिल की व्यवस्था :—

राज्य शासन द्वारा निर्वाचित परिषदों में जनता द्वारा सीधे निर्वाचित महापौर तथा अध्यक्षों के पद तथा गरिमा को ध्यान में रखते हुए निकायों के सामान्य कामकाज के संचालन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से छ.ग.नगरपालिक निगम

अधिनियम 1956 के अंतर्गत नगर पालिक निगमों में मेयर–इन–कौंसिंल तथा छ.ग.नगर पालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन प्रेसीडेण्ट–इन–कौंसिल के गठन की व्यवस्था लागू की गई है। उक्त व्यवस्था के अनुसार संबंधित महापौर/अध्यक्ष अपने विवेक के आधार पर निर्वाचित पार्षदों में से मेयर–इन–कौंसिल/प्रेसीडेण्ट–इन–कौंसिल का गठन करेंगे । नगर पालिक निगमों में कुल वार्डो की संख्या के आधार पर मेयर–इन– कौंसिल में सदस्यों की संख्या 20 प्रतिशत रखी गई है। नगरपालिका परिषद्ों एवं नगर पंचायतों में प्रेसीडेण्ट–इन–कौंसिल में क्रमशः 7 सदस्य एवं 5 सदस्य रखे गये हैं। शासन द्वारा मेयर–इन–कौंसिल तथा प्रेसीडेण्ट–इन– कौंसिल हेतु निकायों के वित्तीय एवं प्रशासनिक कामकाज के संचालन के लिए नियम बनाए गए हैं तथा विभिन्न शक्तियां सौंपी गयी है।

8. महत्वपूर्ण सांख्यिकीय :–

2001 जनगणना :–

- शहरी आबादी 2001 – 46.99 लाख
- कुल जनसंख्या का प्रतिशत – 22.55 प्रतिशत
- गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या – 5.45 लाख परिवार
- शहरी जनसंख्या का – 46.38 प्रतिशत

कुल जनप्रतिनिधि :–

क्र	निकाय	निकायों की संख्या	निर्वाचित महापौर/अध्यक्ष	वार्डो की संख्या	निर्वाचित पार्षदों की संख्या
1	नगर निगम	10	10	**513**	**513**
2	नगर पालिका	32	32	**681**	**681**
3	नगर पंचायत	126	125	**1890**	**1875**
	कुल योग	**168**	**167**	**3084**	**3069**

टीप :– **नगर पंचायत सारंगढ़ का निर्वाचन नहीं होने से वहां के अध्यक्ष एवं पार्षदों का पद रिक्त है। वर्तमान में नगर पंचायत सारंगढ़ में प्रशासक नियुक्त है।**

————::————

भाग – दो

बजट

1. बजट विहंगावलोकन (एक दृष्टि में) :–

वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए बजट में सामान्य, विशेष घटक योजना एवं आदिवासी उपयोजना अंतर्गत प्रावधान किया गया है, जिसमें राज्य की योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। आयोजना एवं आयोजनेत्तर बजट प्रावधान निम्नानुसार हैं :–

क्रं.	योजना	राशि
1	आयोजनेत्तर	73449. 46 लाख
2	आयोजना	48756.00 लाख
कुल योग–		**122205.46 लाख**

बजट प्रावधान :–

विभाग के लिए वर्ष 2010–2011 के लिए मदवार बजट प्रावधान किया गया है। विभाग द्वारा नगरीय निकायों को मुख्य रूप से निम्नानुसार मदों में वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाती है :–

आयोजनेत्तर

वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्राप्त आबंटन एवं व्यय (राशि लाख में)

क्र.	मांग संख्या	मुख्य शीर्ष	उप शीर्ष	लघु शीर्ष	सेगमेंट कोड	योजना क्रमांक	विवरण	विस्तृत शीर्ष	प्रावधान 2010–11	प्रथम अनुपूरक 2010.11	द्वितीय अनुपूरक 2010.12	कुल आवंटन 2010–11
1	**22**	**2217**				**6148**	नगरीय स्थानीय निकाय संचालनालय		**164.15**	**0**	**0**	**164.15**
2	**22**	**2217**				**2122**	नगर पालिका कर्मचारी पेंशन योजना		**28.80**	**0**	**0**	**28.80**
							मांग संख्या योग		**192.95**	**0**	**0**	**192.95**
3	81	2217	05	800	1301	5704	12 वां वित्त आयोग	005	**1700.00**	**0**	**0**	**1700.00**
4	81	2217	05	191	0	7416	13वां वित्त आयोग(नगर निगम)	005	**0**	**2300.00**	**0**	**2300.00**

क्र.	मांग संख्या	मुख्य शीर्ष	उप शीर्ष	लघु शीर्ष	सेगमेंट कोड	योजना क्रमांक	विवरण	विस्तृत शीर्ष	प्रावधान 2010–11	प्रथम अनुपूरक 2010.11	द्वितीय अनुपूरक 2010.12	कुल आवंटन 2010–11
5	81	2217	05	192	0	7416	13वां वित्त आयोग(नगर पालिकाओं)	005	**0**	**200.00**	**0**	**200.00**
6	81	2217	05	193	0	7416	13वां वित्त आयोग (नगर पंचायतों)	005	**0**	**106.00**	**0**	**106.00**
7	81	2217	80	004	0	7409	नगरीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का क्षमता प्रशिक्षण	005	**0**	**100.00**	**0**	**100.00**
8	81	2217	80	191	0	7418	शहरी स्वच्छता कार्यक्रम	005	**0**	**98.21**	**0**	**98.21**
9	81	2215	01	101	-	283	अंबिकापुर जलप्रदाय	003	**12.50**	**0**	**0**	**12.50**
10	81	2215	01	101	-	1413	जगदलपुर जल प्रदाय	003	**10.00**	**0**	**0**	**10.00**
11	81	2215	01	101	-	3102	भिलाई जल प्रदाय	003	**18.20**	**0**	**0**	**18.20**
12	81	2215	01	101	-	3374	मनेन्द्रगढ़ जल प्रदाय	003	**22.00**	**0**	**0**	**22.00**
13	81	2215	01	800	-	3720	रायपुर जल प्रदाय	003	**30.50**	**0**	**0**	**30.50**
14	81	2215	01	800	-	5761	जशपुर जल प्रदाय	003	**6.10**	**0**	**0**	**6.10**
15	81	2215	01	800	-	8400	चांपा जल प्रदाय	003	**10.00**	**0**	**0**	**10.00**
16	81	3604	-	106	-	8017	वाहनों पर कर से प्राप्त आगम से शहरीय स्थानीय निकायों को सड़क अनुरक्षण मरम्मत के लिये अनुदान	005	**420.00**	**0**	**0**	**420.00**
17	81	3604	-	107	-	8018	प्रवेशकर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	005	**40500.00**	**0**	**20000.00**	**60500.00**

क्र.	मांग संख्या	मुख्य शीर्ष	उप शीर्ष	लघु शीर्ष	सेगमेंट कोड	योजना क्रमांक	विवरण	विस्तृत शीर्ष	प्रावधान 2010–11	प्रथम अनुपूरक 2010.11	द्वितीय अनुपूरक 2010.12	कुल आवंटन 2010–11
18	81	3604	-	200	-	4035	विभिन्न अधिनियमों के अधीन स्थानीय निकायों को समर्पित शुल्क, अर्थदण्ड तथा अन्य प्राप्तियां **(भारित)**	005	**2125.00**	**0**	**877.00**	**3002.00**
19	81	3604	-	200	-	5061	एफ.एल. लायसेंस फीस की राशि से नगर निकायों को अनुदान	005	**1300.00**	**0**	**491.00**	**1791.00**
20	**81**	**3604**	-	**200**	**-**	**9436**	यात्रीकर समाप्त किये जाने के एवज में स्थानीय निकायों को विशेष अनुदान	**005**	**800.00**	**0**	**0**	**800.00**
21	**81**	**3604**	-	**200**	**-**	**7306**	सामान्य उददेश्य अनुदान	**002**	**1000.00**	**0**	**0**	**1000.00**
22	**81**	**3604**	-	**200**	**-**	**8850**	मनोरंजन कर से प्राप्त राशि से नगरीय निकायों को अनुदान	**005**	**927.25**	**0**	**202.75**	**1130.00**
							मांग संख्या योग		**48881.55**	**2804.21**	**21570.75**	**73256.51**
आयोजनेत्तर योग									**49074.50**	**2804.21**	**21570.75**	**73449.46**

आयोजना

क्र.	मांग संख्या	मुख्य शीर्ष	उप शीर्ष	लघु शीर्ष	सेगमेंट कोड	योजना क्रमांक	विवरण	विस्तृत शीर्ष	प्रावधान 2010–11	प्रथम अनुपूरक 2010.11	द्वितीय अनुपूरक 2010.12	कुल आवंटन 2010–11
1	41	2217	-	191	0102	1785	आ. उप. पेयजल शैचालय	005	**250.00**	**0**	**0**	**250.00**
2	41	2217	-	191	1002	6807	एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास योजना	005	**95.00**	**0**	**0**	**95.00**

क्र.	मांग संख्या	मुख्य शीर्ष	उप शीर्ष	लघु शीर्ष	सेगमेंट कोड	योजना क्रमांक	विवरण	विस्तृत शीर्ष	प्रावधान 2010–11	प्रथम अनुपूरक 2010.11	द्वितीय अनुपूरक 2010.12	कुल आवंटन 2010–11
3	41	2217	-	191	1002	6808	लघु एवं मध्यम नगरी की अधोसंरचना विकास योजना	005	**54.00**	**0**	**0**	**54.00**
4	**41**	**2217**	-	**800**	**0702**	**9106**	**एस.जे.एस. आर.वाय**	**005**	**60.00**	**0**	**15.00**	**75.00**
							मांग संख्या योग		**459.00**	**0**	**15.00**	**474.00**
5	53	2217	05	191	0103	5866	वि.घ.रा.वि.आ. अनुसार मू.भू. सेवा.	005	**500.00**	**0**	**0**	**500.00**
6	53	2217	05	800	0103	7329	विशिष्ट प्रयोजनार्थ अनु.	002	**500.00**	**0**	**0**	**500.00**
7	**53**	**6217**	**60**	**800**	**0103**	**7329**	**विशिष्ट प्रयोजनार्थ ऋण**	**002**	**1000.00**	**0**	**0**	**1000.00**
							मांग संख्या योग		**2000.00**	**0**	**0**	**2000.00**
8	64	2217	05	191	0103	1788	पेयजल शौचालय	005	**300.00**	**0**	**0**	**300.00**
9	**64**	**2217**	05	**191**	**0703**	**9106**	**एस.जे.एस. आर.बाय**	**005**	**60.00**	**0**	**15.00**	**75.00**
							मांग संख्या योग		**360.00**	**0**	**15.00**	**375.00**
10	69	2217	80	191	0101	4178	कम.आ. वर्गे स. बी.	012	**60.00**	**0**	**0**	**60.00**
11	69	2217	80	191	0101	4179	विस्था.पर्या. सुधार	012	**100.00**	**0**	**0**	**100.00**
12	69	2217	80	191	0701	7404	आपदा प्रवंधन कार्यक्रम	005	**400.00**	**0**	**0**	**400.00**
13	69	2217	80	011	0701	9106	एस.जे.एस. आर.वाय	005	**165.00**	**0**	**0**	**165.00**
14	69	2217	80	191	0701	6807	एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास योजना	005	**5672.00**	**0**	**0**	**5672.00**
15	**69**	**2217**	**80**	**191**	**0701**	**6808**	लघु एवं मध्यम नगरी की अधोसंरचना विकास योजना	**005**	**7400.00**	**0**	**0**	**7400.00**
16	69	2217	80	800	0701	6741	नेश. अरबन रिन्यूबल	005	**16500.00**	**0**	**0**	**16500.00**

क्र.	मांग संख्या	मुख्य शीर्ष	उप शीर्ष	लघु शीर्ष	सेगमेंट कोड	योजना क्रमांक	विवरण	विस्तृत शीर्ष	प्रावधान 2010—11	प्रथम अनुपूरक 2010.11	द्वितीय अनुपूरक 2010.12	कुल आवंटन 2010—11
17	69	2217	80	800	0701	6926	क्लीनर मोबिलिटी इन अर्बन एरियाज	005	**5.00**	**0**	**0**	**5.00**
							मांग संख्या योग		**30302.00**	**0**	**0**	**30302.00**
18	81	2217	04	191	0101	1786	झु.झो.पेय.शौ. निर्माण	002	**60.00**	**0**	**0**	**60.00**
19	81	2217	04	191	0101	1787	झु..झा. पेय. शौ.व्यवस्था	005	**60.00**	**0**	**0**	**60.00**
20	81	2217	05	800	0101	5866	राज्य वित्त आयोग	005	**3000.00**	**0**	**0**	**3000.00**
21	81	2217	05	800	0101	6047	प्रशिक्षण हेतु अनुदान	005	**10.00**	**0**	**0**	**10.00**
22	81	2217	05	800	0101	7241	नगरीय निकायो का अधोसरंचना विकास	002	**2500.00**	**0**	**0**	**2500.00**
								005	**4775.00**	**0**	**0**	**4775.00**
23	81	6217	60	191	0101	7241	नगरीय निकायो का अधोसरंचना विकास	002	**2500.00**	**0**	**0**	**2500.00**
24	81	2217	05	800	0101	7329	विशि. प्रयो. अनुदान	002	**450.00**	**0**	**0**	**450.00**
25	**81**	**6217**	**60**	**191**	**0101**	**7329**	**विशिष्ट प्रयो. ऋण**	**002**	**750.00**	**0**	**0**	**750.00**
							मांग संख्या योग		**14105.00**	**0**	**0**	**14105.00**
26	**83**	**2217**	**05**	**191**	**0102**	**5866**	आ.उप. रा.वि. आ. अनुसार मू.भू.सेवा.	**005**	**1500.00**	**0**	**0**	**1500.00**
							मांग संख्या योग		**1500.00**	**0**	**0**	**1500.00**
आयोजना योग									**48726.00**	**0**	**30.00**	**48756.00**
कुल महायोग									**97800.50**	**2804.21**	**21600.75**	**122205.46**

2.2 चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान :—

शासन द्वारा 1 सितम्बर 2007 से नगरीय निकायों की चुंगी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था को परिवर्तन करते हुए वर्तमान में रू. 26/— प्रति व्यक्ति प्रतिमाह से चुंगी क्षतिपूर्ति देने का निर्णय लिया गया है। गणना के लिए निकाय की 2001 की जनसंख्या को लिया गया है।

2.3 यात्रीकर विशेष अनुदान :–

राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों में नाकों के माध्यम से यात्रीकर संग्रहण की व्यवस्था दिनांक 02.05.95 से समाप्त की जाकर उसके बदले यात्रीकर अनुदान दिया जा रहा है। बजट में उपलब्ध राशि के आधार पर आनुपातिक वृद्धि की जाती है।

2.4 13वां वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान :–

13वे वित्त आयोग की अनुशंसानुसार स्थानीय संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया गया है। इस वित्तीय वर्ष 2010–11 में इस मद में 2606.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। अभी तक रू. 2152.00 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है। इस राशि से नगरीय निकाय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन,जलापूर्ति, जलमल, वर्षा जल की निकासी, डाटा बेस संधारण जैसे आवश्यक कार्यो को संपादित कर सकेंगे।

2.5 पर्यावरण सुधार :–

नगर पंचायतों में झुग्गी बस्ती क्षेत्रों में स्थित तंग बस्ती में पर्यावरण सुधार, विस्थापन, पेयजल एवं शौचालय व्यवस्था हेतु इस मद में प्रावधान किया गया है, जिससे इन क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार, विस्थापन, पेयजल एवं शौचालय व्यवस्था जैसी तत्कालिक व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु बंटित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में इस मद के अंतर्गत निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:–

(राशि लाखों में)

क्र.	मद	बजट प्रावधान	व्यय
1	सामान्य	120.00	54.00
2	आदिवासी उपयोजना	1750.00	656.00
3	विशेष घटक	800.00	15.00
	योग	**2670.00**	**725.00**

————::————

भाग – तीन

3. विभाग द्वारा संचालित प्रमुख राज्य प्रवर्तित योजनाएं :–

3.1.1 सरोवर धरोहर योजना :–

शहरी क्षेत्रों में स्थित तालाबों के पुनरोद्धार, गहरीकरण, सौन्दर्यीकरण एवं पर्यावरण सुधार की दृष्टि से सरोवर धरोहर योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर रू. 9.11 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में 27 तालाबों का कार्य लिया जाकर रूपये 321.62 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनान्तर्गत शत–प्रतिशत अनुदान राशि नगरीय निकाय को दी जाती है। योजनान्तर्गत शत–प्रतिशत अनुदान राशि नगरीय निकाय को दी जाती है। इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 387 परियोजनाओं में रू. 5388.00 लाख व्यय कर 246 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

नगर निगम, भिलाई

3.1.2 ज्ञानस्थली योजना :–

राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के जीर्णोद्धार तथा अतिरिक्त कमरों के निर्माण हेतु यह योजना लागू की गई है। इस योजना में प्राथमिक शाला के लिए 5.25 लाख रूपए, माध्यमिक शालाओं के 7.35 लाख, उच्चतर माध्यमिक शालाओं के 8.65 लाख तथा महाविद्यालय के लिए 9.70 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2010–11 में कुल 07 कार्यो हेतु रू. 46.05 लाख स्वीकृत किए गए हैं। योजनान्तर्गत शत–प्रतिशत अनुदान राशि नगरीय निकाय को दी जाती है। इस

योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 959 शाला भवनों में रू. 3313.00 लाख व्यय कर 823 शाला भवनों में निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

3.1.3 उन्मुक्त खेल मैदान योजना :–

राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित खेल मैदानों के संरक्षण एवं नवीन खेल मैदान बनाने हेतु यह योजना लागू की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर 10.25 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2010–11 में अभी तक कुल 06 मैदानों के लिए राशि रूपये 139.54 लाख़ की स्वीकृति दी गई है। इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 154 परियोजनाओं में राशि रू. 1471.00 लाख व्यय कर 109 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी है।

3.1.4 पुष्प वाटिका उद्यान योजना :–

राज्य के शहरी क्षेत्रों में रिक्त स्थानों एवं कालोनियों के बीच स्थित स्थानों को विकसित कर उद्यान बनाने हेतु पुष्प वाटिका उद्यान योजना लागू की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर रू. 16.00 लाख का प्रावधान किया गया है। योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 में अभी तक कुल 17 उद्यानों के विकास कार्य के लिए राशि रूपये 263.38 लाख की स्वीकृति दी गई है। योजनान्तर्गत शत–प्रतिशत अनुदान राशि नगरीय निकाय को दी जाती है। योजनान्तर्गत शत–प्रतिशत अनुदान राशि नगरीय निकाय को दी जाती

है। इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 224 परियोजनाओं में रू. 2061.00 लाख व्यय कर 163 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी है।

नगर निगम, कोरबा

3.1.5 पं. सुन्दर लाल शर्मा सफाई कामगार आवास योजना :–

राज्य के नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई कामगारों को स्वयं के आवास उपलब्ध कराने हेतु यह योजना लागू की गई है। योजनान्तर्गत 50 वर्गमीटर भूखण्ड में 40 वर्गमीटर के आवास का निर्माण किया जाता है। योजना में 10 प्रतिशत राशि मार्जिन मनी एवं 90 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में स्वीकृत की जाती है । इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 308 आवासों में रू. 324.00 लाख व्यय कर 105 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

3.1.6 मिनी माता शहरी निर्धन बीमा योजना :–

मिनीमाता शहरी निर्धन बीमा योजना, राज्य शासन द्वारा भारतीय जीवन बीम निगम के सहयोग से प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत, सदस्य की सामान्य मृत्यु होने पर रू. 20,000/–, दुर्घटना मृत्यु होने पर रू. 50,000/–, दुर्घटना में स्थाई पूर्ण अपंगता होने पर रू. 50,000/–, दुर्घटना में दो हाथ–पांव, या एक आंख और एक हाथ या पांव से अक्षम होने पर रू. 50,000/– एवं दुर्घटना में एक आंख या एक हाथ या एक पांव अक्षम होने पर रू. 25,000/– की बीमित राशि नामांकित व्यक्ति को देय होती है।

योजनांतर्गत वर्ष 2010–11 में 80000 लक्ष्य रखा जाकर हितग्राहियों का बीमा किया जा रहा है तथा प्राप्त दावा प्रकरणों पर लाभ भी दिया जा रहा है।

3.1.7 बाबा गुरू घासीदास गंदी बस्ती उत्थान योजना :–

इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों झुग्गी–झोपड़ी और गंदी बस्तियों में पेयजल, नाली, सड़क, सार्वजनिक शौचालय, विद्युत व्यवस्था, सामुदायिक भवन आदि बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं । योजनान्तर्गत शत–प्रतिशत अनुदान राशि नगरीय निकाय को दी जाती है। इस योजनांतर्गत मूलभूत सुविधा हेतु स्वीकृत 41 बस्तियों में रू.1365.41 लाख व्यय कर 40 बस्तियों के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

3.1.8 मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना :–

राज्य शासन द्वारा 1 जुलाई 2003 से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के बेरोजगार नवयुवकों तथा नवयुवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु दुकान/चबूतरा उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई है। योजनान्तर्गत रू. 46,000/– की लागत से 2.50X3 मीटर की छोटी दुकान व रू. 57000/– की लागत से 3.50X3 मीटर बड़ी दुकान एवं रू. 6500/– की लागत से चबूतरों का निर्माण किया जाता है। उक्त निर्माण हेतु नगरीय निकायों को 50 प्रतिशत ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। निर्मित दुकान एवं चबूतरे नगरीय निकाय द्वारा पात्र हितग्राहियों को निर्धारित न्यूनतम अमानत राशि एवं मासिक किराये पर आबंटन किया जाता है। योजनांतर्गत वर्ष 2010–11 में 78 दुकानों हेतु 17.94 लाख स्वीकृत किया गया है। अभी तक रूपए 2738.52 लाख की लागत से 15359 दुकानों तथा 5429 चबूतरों का निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 6021 दुकान व चबूतरा पूर्ण कर शेष निर्माण कार्य प्रगति पर है।

3.1.9 महिला समृद्धि बाजार योजना :–

राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना के अंग के रूप में प्रदेश की शिक्षित बेराजगार महिलाओं को सस्ता सुरक्षित एवं मूलभूत सुविधा युक्त बाजार उपलब्ध कराने तथा उनके कौशल, श्रम द्वारा तैयार उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से महिला समृद्धि बाजार योजना प्रथम चरण में प्रदेश के 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय निकायों में लागू की गई है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित दुकानों की लागत को ध्यान में रखते हुए 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। निर्मित दुकानों को नगरीय निकाय निर्धारित अमानत राशि एवं मासिक किराये में पात्र हितग्राहियों को व्यवसाय हेतु आबंटित किया जाता है। योजनांतर्गत अभी तक 778 दुकानों का निर्माण हेतु रूपये 194.50 लाख की स्वीकृति दी गई थी जिसमें 515 दुकाने पूर्ण हो चुकी है तथा 263 दुकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

3.1.10 ट्रांसपोर्ट नगर योजना :–

प्रदेश में यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाने हेतु 8 निकायों में ट्रांसपोर्ट नगर योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 में नगर पालिका कवर्धा की नई योजना स्वीकृत की गई है। इस प्रकार कुल 08 निकायों में रू. 21.31 करोड़ की योजना के विरूद्ध रू. 16.39 करोड़ की राशि जारी की गई है। कुल व्यय राशि रूपए 8.98 करोड़ है। 02 परियोजना पूर्ण किया जाकर शेष निर्माणाधीन है ।

3.1.11 गोकुल नगर योजना :–

नगर में स्थित डेयरी व्यवसाय को शहर के बाहर व्यवस्थित रूप से बसाने हेतु राज्य शासन द्वारा गोकुल नगर योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत अभी तक राशि रू. 1597.00 लाख की लागत से 08 नगरीय निकायों को आबंटित किए गए हैं। 5 परियोजना पूर्ण तथा शेष पूर्णता पर है।

नगर निगम, रायपुर

3.1.12 प्रतीक्षा बस स्टैण्ड योजना – द्वितीय चरण :–

राज्य में सड़क मार्ग ही आवागमन के मुख्य साधन होने के कारण बस स्टैण्ड निर्माण करने हेतु प्रतीक्षा बस स्टैण्ड योजना लागू की गयी थी। इस योजना में अनुभवों को देखते हुए अब शेष स्थानों पर बस स्टैण्ड व सुव्यवस्थित बाजार की उपलब्धता हेतु प्रतीक्षा बस स्टैण्ड सह व्यवसायिक परिसर (प्रतीक्षा बस स्टैण्ड योजना– द्वितीय चरण) बनाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना अंतर्गत चयनित नगर निगमों में रू. 50.00 लाख, नगर पालिकाओं में रू. 33.00 लाख एवं नगर पंचायतों में रू. 17.00 लाख का परिसर निर्माण किया जाएगा। योजनांतर्गत अभी तक कुल 71 निकायों को रू. 1700.00 लाख स्वीकृत कर कुल 71 कार्यो की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से 36 निकायों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।

नगर पालिका परिषद, बालोद

3.1.13 सार्वजनिक प्रसाधन योजना :–

नगरीय निकायों में सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय जैसी आवश्यक जन सुविधाओं की कमी को देखते हुए समस्त नगरीय निकायों में शत–प्रतिशत अनुदान देकर सार्वजनिक शौचालय निर्माण की योजना प्रारंभ की गई है। इसके तहत् नगर निगमों में रू. 13.60 लाख, नगर पालिकाओं में रू. 11.14 लाख एवं नगर पंचायतों में रू. 8.00 लाख लागत की 268 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करने की योजना है। इस पर कुल व्यय रू. 2201.60 लाख अपेक्षित है। वर्ष 2010–11 में 20 कार्य की स्वीकृति प्रदान कर रू.185.00 लाख व्यय किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 265 शौचालयों

के लिए रू. 2345.00 लाख स्वीकृत किए गए हैं। 162 शौचालयों के निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।

नगर निगम, भिलाई

3.1.14 मुक्तिधाम निर्माण योजनाः—

शहरी क्षेत्र के सभी धर्मो के अनुयायियों के लिए सुव्यवस्थित मुक्तिधाम योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत क्रिमेशन शेड, आर.सी.सी.रोड, स्टोरेज एरिया, गार्डन, पेयजल शौचालय, विद्युतीकरण, एवं चौकीदार क्वार्टर एवं वाहन पार्किंग जैसी आवश्यक

नगर पालिका परिषद, बैकुण्ठपुर

सुविधाओं की व्यवस्था की जावेगी। इस हेतु निगमों में रू. 12.00 लाख, नगर पालिकाओं में रू. 10.00 लाख एवं नगर पंचायतों हेतु रू. 9.00 लाख के मुक्तिधाम निर्माण की योजना है। यह योजना समस्त नगरीय निकायों में की गई है। वर्ष 2010—11 में 21 कार्य हेतु रू. 225.23 लाख व्यय का प्रावधान है। इस प्रकार अब तक 192 मुक्तिधाम निर्माण हेतु योजना की लागत रूपए 1740.29 लाख है एवं अभी तक 192 कार्य हेतु रू. 1663.00 लाख आबंटन किया गया है। वर्तमान में 104 स्थानों पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

3.1.15 कुशाभाऊ ठाकरे युवा जन विकास योजना :–

शहरों में निवासरत् आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के अनपढ़ या कम पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं/महिलाओं को अपारंपरिक क्षेत्रों और बाजार रोजगार की मांग के अनुरूप उनकी दक्षता एवं तकनीकी कौशल में वृद्धि कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराते हुए उनकी युवा शक्ति को उत्पादक बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में यह योजना वर्ष 2007–08 में लागू की गई है। योजनांतर्गत वर्ष 2007–08 से वर्ष 2010–11 तक प्रति वर्ष 5000 हितग्राहियों के मान से कुल 20000 को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। प्रथम चरण में वर्ष 2007–08 में 5000 हितग्राहियों के विरूद्ध 4758 हितग्राहियों को प्रशिक्षित किया गया है । 2008–09 में द्वितीय चरण में 5200 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है । वर्ष 2009–10 में 4800 हितग्राहियों को एवं वर्ष 2010–11 में 5000 हितग्राहियों को लाभांवित किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में 10000 हितग्राहियों को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण दिया जाकर उन्हें SDI Scheme अंतर्गत विभिन्न कोर्सो में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आई.टी.आई. से प्रशिक्षित हितग्राहियों को NCVT एवं छत्तीसगढ़ डेव्हलपमेंट मिशन अंतर्गत प्रमाण पत्र प्रदान कर प्रशिक्षणार्थियों की मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

3.1.16 हाट बाजार समृद्धि का आधार योजना :–

वर्ष 2007–08 में प्रारंभ की गई इस नवीन योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में एवं आसपास के ग्रामों में असंगठित रूप से गुमटी, ठेले एवं फेरी लगाकर जीविकोपार्जन करने वाले परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादक वस्तुओं के सुलभ तरीके से विक्रय हेतु नगरों में लगने वाले हाट बाजार की व्यवस्था प्रचलित है। इसी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए नगरीय क्षेत्रों में एक–एक बड़ा स्थान हाट बाजार के रूप में विकसित किया जाना है, जिसमें नीलामी चबूतरा, चबूतरे के निर्माण, पार्किंग व्यवस्था, प्रकाश, जल, ड्रेनेज एवं सार्वजनिक प्रसाधन के निर्माण का प्रावधान है। इस योजनांतर्गत नगर निगमों को रू. 100.00 लाख, नगर पालिका परिषद् को रूपए 70.00 लाख तथा नगर पंचायत को रूपए 40.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। वर्ष 2010–11 में 26 कार्य हेतु 1038.17 लाख स्वीकृत किया गया है। योजनांतर्गत अब तक 74 हाट बाजार के लिए रू. 2907.00 लाख स्वीकृति उपरांत

रू. 2100.00 लाख निकायों को उपलब्ध करायी गयी है। 03 परियोजना पूर्ण किया जाकर 71 हाट बाजार निर्माणाधीन है ।

नगर पंचायत, धमधा

3.1.17 सांस्कृतिक भवन निर्माण योजना :–

वर्ष 2007–08 में प्रारंभ की गई इस नवीन योजना का प्रमुख उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक, मांगलिक एवं अन्य सामाजिक कार्यो हेतु एक सुलभ सुसज्जित भवन उपलब्ध कराना है। यह योजना प्रदेश के सभी निकायों में स्वीकृत किया गया है, जिसके अनुसार नगर पालिक निगम रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा में रू. 100.00 लाख तथा शेष नगर पालिक निगमों में रू. 75.00 लाख की लागत से, निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की गई हैं। 50 हजार से अधिक जनसंख्या वाले तथा जिला मुख्यालय के नगर पालिकाओं में रू. 50.00 लाख और शेष नगर पालिकाओं में रू. 35.00 लाख की लागत से निर्माण किया जा सकेगा। इसी प्रकार जिला मुख्यालय के नगर पंचायतों दंतेवाड़ा, बैकुण्ठपुर, नारायणपुर में रू. 35.00 लाख के लागत से एवं शेष नगर पंचायतों में रू. 25. 00 लाख रू. की लागत से निर्माण किये जा सकेंगें। वर्ष 2010–11 में 28 कार्य हेतु रू. 650.39 लाख स्वीकृत किए गये है। इस प्रकार योजनांतर्गत अब तक 73 सांस्कृतिक भवन के लिए रू. 2095.00 लाख स्वीकृति उपरांत रू. 1387.00 लाख निकायों को उपलब्ध करायी गयी है। 06 परियोजना पूर्ण किया जाकर 67 सांस्कृतिक भवन का कार्य निर्माणाधीन है ।

3.1.18 भागीरथी नल–जल योजना –

राज्य के लगभग 2.5 लाख गरीब परिवार, विभिन्न नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित तंग बस्तियों में निवासरत है। ये गरीब परिवार, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से भी वंचित है। वर्तमान में इन परिवारों को सार्वजनिक नल तथा टैंकरों से पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। इस व्यवस्था से निजात पाने, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित तंग बस्ती क्षेत्रों में निवासरत गरीब परिवार को निःशुल्क नल संयोजन प्रदान किये जाने हेतु **भागीरथी नल–जल योजना** लागू की गई है।

नगर निगम, रायपुर

यह योजना प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में लागू होगी। नगरीय निकाय, एमआईसी/पीआईसी में बस्ती का चयन कर संबंधित तंग बस्ती में कैंप लगाकर निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करेंगी। इस हेतु एक समिति गठित की जायेगी जिसमें संबंधित वार्ड पार्षद तथा जल कार्य से संबंधित उप अभियंता सदस्य रहेंगे। अन्य सदस्य एमआईसी/पीआईसी द्वारा नामित किये जा सकेंगे। आवेदन पत्र स्थल पर ही स्वीकृत किया जाकर यथाशीध्र नल संयोजन किया जावेगा। नल संयोजन के उपरांत निकाय, व्यय राशि की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) को प्रकरण भेजेंगे। सूडा में परीक्षण उपरांत स्वीकृत व्यय की प्रतिपूर्ति निकायों को की जावेगी। योजनांतर्गत बी क्लास जी.आई. वितरण पाईप लाईन, खुदाई कार्य, फेरूल, नल आदि आवश्यक फिटिंग सहित निकाय में लागू नल संयोजन शुल्क, आदि का समावेश योजना के तहत किया जा सकेगा। हितग्राही परिवार से निर्धारित मासिक जल कर लिया जावेगा। इस योजनांतर्गत प्रति आवासीय इकाई में नल संयोजन हेतु रू. 3000/– की प्रतिपूर्ति का

प्रावधान है। वर्तमान में 27 नगरीय निकायों को 71615 निःशुल्क जल संयोजन हेतु रू. 4.30 करोड़ किए गये है ।

3.1.19 <u>अन्नपूर्णा सामुदायिक सेवा केन्द्र योजना –</u>

राज्य के नगरीय क्षेत्रों में गरीब महिलाओं को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना वर्षो से संचालित है। योजना के अंतर्गत महिलाओं की सामुदायिक विकास समिति (सीडीएस) के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र में सीधे सहभागिता दी जा रही है। राज्य शासन की अन्नपूर्णा सामुदायिक सेवा केन्द्र की पहल से जहॉ समिति व सी.डी.एस. की महिलाएं विभिन्न उद्यम स्थापित करके आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगी, वहीं सेवा केन्द्रों में उनकी बैठकों के लिए एक स्थान भी निर्धारित रहेगा। इससे गरीब महिलाओं को लाभांवित करने का उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा। योजनांतर्गत सूडा द्वारा समस्त नगरीय निकायों को अन्नपूर्णा सामुदायिक सेवा केन्द्र स्थापित करने हेतु अनुदान प्रदान किया जावेगा। निकाय अपने क्षेत्र में पंजीकृत सामुदायिक विकास समिति को स्वीकृत मापदण्डों के अनुसार सेवा केन्द्र निर्मित कर सौपेंगे। स्वावलंबी, उद्यमिता एवं आर्थिक रूप से सुढ़ृढ़ बनाने स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजनांतर्गत सामुदायिक विकास समिति (सी.डी.एस.) को उचित मूल्य की दुकानों का संचालन हेतु 3000 वर्गफीट (60 X 50 फुट) भूमि पर निर्माण हेतु 15 लाख का शत–प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है । वर्तमान में 05 निकायो में 23 केन्द्र स्वीकृत कर रू. 3.45 करोड़ राशि प्रदाय की गई है ।

मॉडल, अन्नपूर्णा सामुदायिक सेवा केन्द्र

3.1.18 शहरी गरीबों की पहचान एवं गणना :–

शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का सर्वेक्षण राज्य गठन के पूर्व वर्ष 1997–98 में तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य के समय कराया गया था।

राज्य गठन पश्चात् नगरी क्षेत्रों के सीमाओं में वृद्धि एवं नगरीय निकायों की गठन के फलस्वरूप नवीन सर्वेक्षण की आवश्यकता को देखते हुए पूरे प्रदेश में नये सिरे से बी.पी.एल. सर्वे की आवश्यकता का निर्णय लिया गया। इसके लिए समय बद्ध कार्यक्रम निर्धारित कर वर्ष 2007–08 में सर्वेक्षण पूर्ण किया गया है। जिसके अनुसार प्रदेष के नगरीय क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे निवासरत परिवारों की संख्या 5,45,814 है।

3.2. विभाग द्वारा संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजनाएंः–

3.2.1 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना :–

भारत सरकार शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार पूर्व में प्रचलित नेहरू रोजगार योजना, प्रधानमंत्री का शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम और सभी बुनियादी सेवा कार्यक्रमों को समाहित करते हुए इनके स्थान पर दिनांक 1.12.97 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना प्रारंभ की गई है तथा भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2009 से योजना पुर्नगठित की जाकर मई में संशोधित दिशा–निर्देश जारी की गई है। यह योजना प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में लागू है। वर्ष 2007–08 में शहरी क्षेत्रों में 110 निकायों में शहरी गरीबों की पहचान एवं गणना का कार्य कराया गया है । जिसके अनुसार यह संख्या 545814 है। योजनांतर्गत शहरी क्षेत्रों में निवासरत गरीब परिवार के सदस्यों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ–साथ उन्हें उनके कौशल उन्नयन हेतु प्रषिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। स्वयं के रोजगार स्थापित करने के इच्छुक युवाओं/महिलाओं को बैंक के माध्यम से ऋण/अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है। उसके अलावा गरीब परिवार के महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सामुदायिक संरचनाओं के माध्यम से उन्हें सुदृढ़ करने का प्रावधान है। महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में विशेष अवसर प्रदान करने महिला स्वसहायता कार्यक्रम अंतर्गत रू. 10.00 लाख तक की आर्थिक सहायता की जा सकती है।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत छ.ग.राज्य गठन के बाद से अभी तक केन्द्र से रू. 5702.72 लाख तथा राज्य से रू. 1424.87 लाख राशि दी गई है, जिसमें से कुल रूपये रू. 7127.59 लाख व्यय किए गए हैं। 2010–11 में 1200 व्यक्तिगत तथा 400 समूहों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में 3310 हितग्राहियों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया गया है तथा 2010–11 में 10000 हितग्राहियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। वर्ष 2010–11 में केन्द्र से रू. 1201.95 लाख प्राप्त हुए हैं । केन्द्रांश के विरूद्व राज्य शासन से रू. 400.65 लाख आहरण की स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।

3.2.2 'पे एण्ड यूज' अंतर्गत सार्वजनिक शौचालय :–

इस योजनान्तर्गत राज्य की नगरीय निकायों में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जाता है तथा 30 वर्षीय अनुबंध के आधार पर 'पे एण्ड यूज' आधार पर संचालित किया जाता है। इसके अन्तर्गत राज्य के 69 नगरों में 82 "पे एण्ड यूज" युनिट्स कुल लागत राशि रूपये 719.00 लाख की योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई। राशि रू. 649.65 लाख का आबंटन प्राप्त हो चुका है, जिसे नगरीय निकायों को आबंटित किया जा चुका है। इस योजनांतर्गत रूपये 604.73 लाख व्यय कर 65 शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

3.2.3 शुष्क शौचालय परिवर्तन कार्यक्रम :–

प्रदेश में सिर पर मैला ढोने की प्रथा पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन आवासों में नये शौचालयों के निर्माण शामिल किया जाता है।

योजनान्तर्गत पूर्व में भारत सरकार तथा आवास एवं नगर विकास निगम (हुडको) के द्वारा ऋण/अनुदान उपलब्ध कराया जाता था। वर्ष 1992–93 में उक्त राशि केवल हुडको के द्वारा ही दी जा रही है। विभिन्न हितग्राही समूह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का माप निम्नानुसार है :–

क्र.	भवन के प्रकार	अनुदान	ऋण	हितग्राही का अंशदान
1.	इ.डब्ल्यू.एस.	45 प्रतिशत	50 प्रतिशत	5 प्रतिशत
2.	एल.आई.जी.	25 प्रतिशत	60 प्रतिशत	15 प्रतिशत
3.	एम.आई.जी.	–	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत

राज्य में शुष्क शौचालय को जलवाहित शौचालय में परिवर्तन का कार्य प्राथमिकता से करने हेतु सर्वेक्षित 15222 शुष्क शौचालय का लक्ष्य रखा गया है। कुल लागत रूपए 4.94 करोड़ की कार्य योजना पर भारत सरकार तथा हुडको से स्वीकृति प्राप्त की गयी है। अभी तक कुल 13793 यूनिट का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं :–

3.2.4 जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन :–

राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (National Urban Renewal Mission) अंतर्गत देश के 65 नगरों में नगरीय विकास और गरीबी उपशमन कार्यक्रम लागू करने के लिए स्थापित किया गया है। नगर निगम रायपुर का चयन प्रदेश की राजधानी होने के कारण किया गया है। मिशन अंतर्गत 80 प्रतिशत धनराशि केन्द्र शासन द्वारा, 10 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में प्राप्त की जायेगी और शेष 10 प्रतिशत राशि निकाय के द्वारा वहन की जायेगी। मिशन अंतर्गत योजनाओं की स्वीकृति के निम्नानुसार शर्तों का पालन आवश्यक है :–

1) नगरीय निकाय तथा राज्य शासन, केन्द्र शासन द्वारा मिशन के अंतर्गत निर्धारित सुधार कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अनुबंध करें।

2) नगरों के एकीकृत विकास के लिए 20–25 वर्षों की योजना तैयार की जावें।

3) प्रत्येक योजना के लिए डी.पी.आर. तैयार की जावें।

प्रदेश की नगरीय जनसंख्या का अनुपात देश की शहरी जनसंख्या से होगा। मिशन के अंतर्गत कुल उपलब्ध राशि का आबंटन उसी अनुपात में किया जायेगा।

मिशन के अंतर्गत योजना की पात्रता के लिए प्रथम वर्ष में कुछ सुधारों को लागू करना अनिवार्य किया गया है एवं इस आशय का अनुबंध नगरीय निकाय एवं राज्य शासन को केन्द्र शासन से करना होगा। वित्तीय वर्ष 2006–07 में जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन योजनांतर्गत राशि रूपये 303.64 करोड़ रायपुर शहर की जलप्रदाय योजना हेतु स्वीकृत की गई है, जिसमें से रू. 182.18 करोड़ केन्द्रांश एवं रू. 22.77 करोड़ राज्यांश राशि प्राप्त हो चुकी है। इस मिशन के द्वितीय सब मिशन (बी. एस.यू.पी.) के अंतर्गत रायपुर में 27976 आवासों के निर्माण एवं अधोसंरचना के लिए रू. 391.45 करोड़ स्वीकृत हुआ है, जिसमें से रू. 156.10 करोड़ केन्द्रांश तथा रू. 19.50 करोड़ राज्यांश राशि प्राप्त हो चुकी है। रायपुर नगर निगम, राज्य शासन तथा केन्द्र शासन के मध्य सुधार कार्यक्रमों को लागू करने के लिए दिनांक 11.08.06 को अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है। रायपुर नगर निगम को पेयजल आवर्धन योजना हेतु अब तक रूपये 202.51 करोड तथा बी.एस.यू.पी. के अंतर्गत रू. 86.91 करोड़ प्रदाय किया जा चुका है।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में छत्तीसगढ़ के लिए वर्ष 2005–12 तक के लिए विभिन्न घटकों में योजना आयोग भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध आबंटन/स्वीकृति की स्थिति निम्नलिखित हैं :–

(राशि करोड़ में)

निकाय	स्वीकृति योजना	स्वीकृत परियोजना	प्राप्त राशि			दी गई राशि		
			केन्द्रांश	राज्यांश	योग	केन्द्रांश	राज्यांश	योग
रायपुर	जल आवर्धन	303.64	182.18	22.77	204.95	179.74	22.77	202.51
रायपुर	बीएसयूपी	391.45	156.10	19.50	175.60	77.26	9.65	86.91
	योग	**695.09**	**338.28**	**42.27**	**380.55**	**257.00**	**32.42**	**289.42**

वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए राशि रूपये 165.00 करोड़ का प्रावधान इन कार्यो की आवश्यकता को देखते हुए रखा गया है।

3.2.5 छोटे एवं मंझोले नगरों की अधोसंरचना विकास की योजना –

छोटे एवं मंझोले नगरों की अधोसंरचना एवं विकास की योजना (Urban Infrastructure Development Scheme for Small & Medium Towns) अंतर्गत देश के छोटे तथा मंझोले नगरों में अधोसंरचना संबंधी सुविधा उपलब्ध कराकर शहरीकरण को विकेन्द्रित करना है तथा आवश्यक अधोसंरचना कार्यो का एक सुनियोजित ढंग से विकास करने के लिए निजी सेक्टर की सहभागिता को बढ़ावा देना है। योजनांतर्गत राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन में सम्मिलित नगरों को छोड़कर शेष सभी नगर सम्मिलित किया गया है। योजना में पूर्व की आई.डी.एस.एम.टी., ए.यू.डब्लू.एस.पी. एवं नगर सुधार प्रोत्साहन निधि को समाप्त कर सम्मिलित किया गया है एवं क्रियान्वित की जा रही योजनाओं को उनके पूर्ण होने तक ही क्रियान्वित किया जायेगा। योजना अंतर्गत 80 प्रतिशत धनराशि केन्द्र शासन द्वारा, 10 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में प्राप्त की जायेगी और शेष 10 प्रतिशत राशि निकाय के द्वारा वहन की जायेगी। मिशन अंतर्गत योजनाओं की स्वीकृति के निम्नानुसार शर्तो का पालन आवश्यक है:–

1) नगरीय निकाय तथा राज्य शासन, केन्द्र शासन द्वारा मिशन के अंतर्गत निर्धारित सुधार कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अनुबंध करें।

2) नगरों के एकीकृत विकास के लिए 20–25 वर्षो की योजना तैयार की जावें।

3) प्रत्येक योजना के लिए डी.पी.आर. तैयार की जावें।

प्रदेश की नगरीय जनसंख्या का अनुपात देश की शहरी जनसंख्या से होगा। मिशन के अंतर्गत कुल उपलब्ध राशि का आबंटन उसी अनुपात में किया जायेगा।

मिशन के अंतर्गत योजना की पात्रता के लिए प्रथम वर्ष में कुछ सुधारो को लागू करना अनिवार्य किया गया है एवं इस आशय का अनुबंध नगरीय निकाय एवं राज्य शासन को केन्द्र शासन से करना होगा। वित्तीय वर्ष 2007–08 में भारत सरकार के द्वारा राशि रूपये 251.43 करोड़ की योजना जिन शहरों के लिए स्वीकृत की गई है, उनका विवरण निम्नानुसार हैं:–

(राशि करोड़ में)

क्र	निकाय	स्वीकृति योजना	स्वीकृत परियोजना	प्राप्त राशि			दी गई राशि		
				केन्द्रांश	राज्यांश	योग	केन्द्रांश	राज्यांश	योग
1	बिलासपुर	जल प्रदाय	41.42	16.57	2.04	18.61	16.40	2.02	18.42
2	रायगढ़	जल प्रदाय	15.24	6.10	0.74	6.84	6.04	0.73	6.77
3	कोण्डागांव	जल प्रदाय	4.52	1.81	0.22	2.03	1.79	0.22	2.01
4	बिलासपुर	सीवरेज	190.25	42.89	12.86	55.75	41.17	5.14	46.32
	योग		**251.43**	**67.37**	**15.86**	**83.23**	**65.40**	**8.11**	**73.52**

अ. योजना अंतर्गत बिलासपुर, रायगढ़ एवं कोण्डागांव में कुल 42.12 एमएलडी अतिरिक्त जल प्रदाय हेतु रू. 61.19 करोड़ की स्वीकृत योजनांतर्गत 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण । शेष कार्य मार्च 2011 तक पूर्ण होना संभावित है।

ब. बिलासपुर भूमिगत सीवरेज योजना लागत – रू. 279.97 करोड़ योजना अंतर्गत 270 किमी. सीवरेज पाईप, 7 पंपिंग स्टेशन तथा 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का

कार्य प्रगति पर है। अभी तक 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण। शेष कार्य अक्टूवर 2011 तक पूर्ण होना संभावित।

सुधार कार्यक्रमों को लागू करने के लिए निकाय, राज्य शासन एवं केन्द्र शासन के मध्य 29.09.06 को अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है। निम्न निकायों की परियोजनाएं भी एप्राइजल हेतु केन्द्र शासन को अग्रेषित की गई हैं :–

(राशि करोड़ में)

क्र.	निकाय का नाम	योजना का नाम	योजना राशि
1.	न.नि.रायगढ़	स्टार्म वाटर ड्रेनेज	4.72
2.	न.पा.धमतरी	स्टार्म वाटर ड्रेनेज	18.59
3.	न.नि.राजनांदगांव	स्टार्म वाटर ड्रेनेज	12.49
4.	न.नि.भिलाई	स्टार्म वाटर ड्रेनेज	22.99
5.	न.पा.भिलाईचरौदा	स्टार्म वाटर ड्रेनेज	13.71
6.	न.नि.दुर्ग	स्टार्म वाटर ड्रेनेज	16.66
7.	न.नि.अंबिकापुर	स्टार्म वाटर ड्रेनेज	22.90
8.	न.पं.सीतापुर	वाटर सप्लाई	1.72
	योग		**113.78**

3.2.6 एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम –

यह योजना भारत सरकार द्वारा परिवर्तित की गई है, जिसमें चयनित शहरों की वर्तमान झुग्गी बस्तियों में उपयुक्त आवास तथा बुनियादी सुविधा उपलब्ध करना, जिससे पर्यावरण को स्वस्थ और बेहतर बनाया जा सके। योजना की लक्षित समूह में झुग्गियों में निवास करने वाले सभी वर्गों के लोग सम्मिलित होंगे। झुग्गियों की सुधार एवं विकास में कलस्टर एपरोच का अनुसरण किया जायेगा, जिसमें कि पूरी बस्ती अथवा उसके किसी पारे/टोले को अन्यत्र विस्थापित किया जा सकेगा। योजना अंतर्गत 80 प्रतिशत धनराशि केन्द्र शासन द्वारा, 10 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में प्राप्त की जायेगी और शेष 10 प्रतिशत राशि निकाय के द्वारा वहन की जायेगी।

मिशन अंतर्गत योजनाओं की स्वीकृति के निम्नानुसार शर्तो का पालन आवश्यक है:–

1) नगरीय निकाय तथा राज्य शासन, केन्द्र शासन द्वारा मिशन के अंतर्गत निर्धारित सुधार कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अनुबंध करें।

2) नगरों के एकीकृत विकास के लिए 20–25 वर्षो की योजना तैयार की जावें।

3) प्रत्येक योजना के लिए डी.पी.आर. तैयार की जावें।

प्रदेश की नगरीय जनसंख्या का अनुपात देश की शहरी जनसंख्या से होगा। मिशन के अंतर्गत कुल उपलब्ध राशि का आबंटन उसी अनुपात में किया जायेगा।

मिशन के अंतर्गत योजना की पात्रता के लिए प्रति वर्ष दो ऐच्छिक सुधारों को एवं 6 अनिवार्य सुधारों को लागू करना अनिवार्य किया गया है एवं इस आशय का अनुबंध नगरीय निकाय एवं राज्य शासन को केन्द्र शासन से करना होगा। वित्तीय वर्ष 2009–10 में योजना अंतर्गत 17 निकायों में 18 परियोजनाओं के अंतर्गत 17922 इकाई आवास निर्माण हेतु स्वीकृत योजना लागत रू. 225.60 करोड़ जिसमें से रू. 158.82 करोड़ केन्द्रांश एवं रू. 19.85 करोड़ राज्यांश तथा रू. 46.93 करोड़ निकाय का अंश है। योजनांतर्गत 9100 आवास का कार्य प्रगति पर है। शेष कार्य मार्च 2012 तक पूर्ण होना संभावित।

(राशि लाखों में)

क्र.	निकाय का नाम	स्वीकृत परियोजना				निकायों को आबंटित राशि	व्यय राशि
		स्वीकृत योजना राशि	आवासों की संख्या	केन्द्रांश की राशि	राज्यांश की राशि		
1	न.नि.बिलासपुर फेस–।	1784.97	1344	1212.94	151.62	654.98	1370.17
2	न.नि.जगदलपुर	901.55	880	650.84	81.40	702.90	798.60
3	न.पा.कुम्हारी	340.00	320	246.40	30.80	270.27	332.73
4	न.पा.भाटापारा	498.00	450	362.40	45.30	391.38	439.78
5	न.पा.बालोद	258.27	200	190.62	23.80	205.85	258.27
6	न.पा.डोंगरगढ़	258.28	200	190.62	23.80	102.92	91.607
7	न.नि.बिलासपुर फेस–।।	7933.15	6492	5307.84	663.46	2866.19	2328.99

8	न.नि.भिलाई	1215.76	1168	879.17	109.90	989.07	916.75
9	न.नि.दुर्ग	1814.10	1638	1320.24	165.02	1425.85	1032.44
10	न.पा.कुरूद	238.41	204	174.41	21.79	188.35	145.61
11	न.पं.अभनपुर	260.68	210	191.74	23.97	207.09	149.00
12	न.नि.रायगढ़	1593.36	1312	1064.77	133.09	574.96	0.00
13	न.पा.बेमेतरा	258.28	200	190.64	23.82	205.88	248.84
14	न.पा.जामुल	295.17	228	217.91	27.23	239.00	253.96
15	न.नि.राजनांदगांव	1796.86	1072	1351.73	168.96	729.93	0.00
16	न.पं.खैरागढ़	751.55	492	561.88	70.24	303.41	0.00
17	न.पं.डोंगरगांव	798.70	480	600.56	75.07	324.30	0.00
18	न.पा.कवर्धा	1563.29	1032	1168.07	146.00	630.76	0.00
	योग –	**22560.38**	**17922**	**15882.78**	**1985.27**	**11013.09**	**8366.747**

स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निकायों, राज्य शासन, केन्द्र शासन द्वारा सुधार कार्यक्रम लागू करने के लिए दिनांक 16.11.2006 को अनुबंध किया जा चुका है।

स्वच्छ छत्तीसगढ़ योजना –

यह योजना वर्ष 2005–06 से लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबी रेखा के नीचे एवं उसके आस–पास जीवन–यापन करने वाले परिवारों के लिए सस्ता शौचालय निर्माण किया जाना है ताकि खुले क्षेत्रों में शौच की प्रवृत्ति का त्याज्य किया जाकर स्वच्छ छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों की गरीब व्यक्तियों के घरों में व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण किया जाता है, जिसकी इकाई लागत रू. 6000/– हैं जिसमें रू. 1462/– केन्द्रीय अनुदान एवं रू. 600/– हितग्राही अशंदान एवं रू. 3938/– राज्य शासन का अनुदान शामिल है। योजनांतर्गत अभी तक 17 नगरीय निकायों में 12865 व्यक्ति शौचालय हेतु कुल राशि रू. 694.72 लाख आबंटन उपलब्ध कराया गया है जिसके तहत 9827 शौचालयों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

————::————

भाग– चार

सामान्य विषय

4.1.1 व्यवसायिक परिसरों का निर्माण :–

शहरी क्षेत्रों में निकाय के आय के स्रोतों में वृद्धि हेतु व्यावसायिक परिसर का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होने के साथ–साथ एक ही स्थल पर सभी प्रकार की सामाग्री मिल सके । व्यवसायिक परिसरों में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि वहां पर पार्किंग, पेयजल तथा शौचालय व्यवस्था हो । इस हेतु वर्ष 2008–09 में अभी तक राशि रूपये 19.03 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

4.1.2 नगरों में ठोस अपशिष्ठ के प्रबंधन :–

राज्य के तीन बडे नगरो – रायपुर भिलाई एवं दुर्ग में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन हेतु पी.पी.पी. आधारित डी.पी.आर. एवं बिड तैयार कर प्रशासकीय अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित किया गया है। दो बड़े नगरों – कोरबा एवं बिलासपुर के लिए पी.पी.पी. आधारित योजना के क्रियान्वयन हेतु भी डी.पी.आर. एवं बिड तैयार किया जा रहा है।

4.1.3 द्वि–प्रविष्टि लेखा प्रणाली :–

भारत शासन, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत नगरीय निकायों में एक्रुअल आधार पर द्वि–प्रविष्टि लेखा प्रणाली लागू करने को अनिवार्य अर्बन रिफार्म एजेण्डा में सम्मिलित किया गया है। इसका क्रियान्वयन समयबद्ध कार्यक्रम के तहत् किया जा रहा है। 12वें वित्त आयोग के अंतर्गत इसके लिए अनुदान दिया गया है। विभाग में द्वि प्रविष्टि लेखा प्रणाली लागू करने के लिए मेसर्स अर्नेस्ट एंड यंग को कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है. इनके द्वारा संचालनालय, राज्य

शहरी विकास अभिकरण, जिला शहरी विकास अभिकरणों एवं प्रदेश की नगरीय निकायों में द्वि प्रविष्टि लेखा प्रणाली लागू करने की कार्यवाही की जा रही है. नगरीय निकायों के लेखा नियम का प्रारुप सूडा, डूडा व संचालनालय के लिये लेखा मैन्युअल के साथ लेखा तालिकाएं बजट कन्ट्रोल सिस्टम के लिये तैयार किया गया है। 10 फिल्ड लेवल चार्टड एकाउंटेंट की नियुक्ति की जा चुकी है। द्वि प्रविष्टि लेखा प्रणाली से नगरीय निकायों में लेखा संबंधी कार्यो में सरलता एवं पारदर्शिता आयेगी। द्वि प्रविष्टि लेखा प्रणाली हेतु हैदराबाद स्थिति भारत सरकार के सेंटर फार गुड गर्वेनेस से साफ्टवेयर तैयार कराया जाकर लागू किया जा रहा है।

4.1.4 मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था :—

राज्य के पांच नगरों क्रमशः रायपुर (03), बिलासपुर (02), दुर्ग (01), भिलाई (05), कोरबा (01) इस प्रकार कुल 12 स्थानों पर वाहन पार्किंग की समस्या को ध्यान में रखते हुए भीड़—भाड़ वाले स्थानों पर मल्टी लेवल वाहन पार्किंग की व्यवस्था पी. पी.पी. के आधार पर तैयार किये जाने हेतु विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रचलित में है।

4.1.5 कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम :—

विभाग के अंतर्गत नगरीय निकायों में पदस्थ कर्मचारियों, अधिकारियों की क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण एवं भ्रमण तथा अध्ययन की श्रंखला प्रारंभ की गई। यांत्रिकी प्रकोष्ठ द्वारा नगर पंचायतों में नवनियुक्त उप अभियंताओं को विभाग की कार्यप्रणाली प्रक्रिया, नियम, अधिनियम, राज्य प्रवर्तित/केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की जानकारी देने, तथा निकाय के निर्माण/संधारण कार्यो, रिकार्ड संधारण के संबंध में जानकारी देने के उद्देश्य से माह नवंबर 2010 में दो चरणों में त्रैदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण के साथ—साथ अपने अनुभवों को बांटते हुए नवनियुक्त उपअभियंताओं की शंकाओं का समाधान कर भविष्य के

लिए मार्गदर्शन दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन के पूर्व लिखित परीक्षा एवं समूहचर्चा के माध्यम से प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया गया।

माह जनवरी 2011 में नगर पंचायतों में पदस्थ मुख्य नगर पालिका अधिकारियों एवं पूर्व पदस्थ उपअभियंताओं के प्रशिक्षण के लिए रिफ्रेशर कोर्स चार चरणों में संपन्न हुआ, जिसमें वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों द्वारा विभिन्न विषयों पर अधिकारियों एवं अभियंताओं को प्रशिक्षण दिया गया।

राज्य शहरी विकास अभिकरण, रायपुर द्वारा क्षमता विकास हेतु मध्यप्रदेश, तामिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्रप्रदेश एवं पश्चिम बंगाल जैसे विकसित राज्यों में विकास की गतिविधियों से परिचित होने के लिए अधिकारियों एवं निकायों के जनप्रतिनिधियों के संयुक्त दलों हेतु अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की श्रृंखला भवष्यि में भी निरंतर रखी जावेगी।

————::————

भाग – पांच

5.1 कर्मचारी कल्याण कार्यक्रम :–

5.1 नगर पालिका कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना :–

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए दिनांक 1.4.1970 से पेंशन योजना लागू की गई है। इस योजना में नगरीय निकायों में कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित हैं। योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा एक पृथक पेंशन निधि का गठन किया गया है, जिसमें कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम का 12 प्रतिशत के बरावर तथा वर्तमान में चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान से 15 प्रतिशत के मान से पेंशन अंशदान संबंधित निकायों से कटौती कर जमा कराया जाता है। नगरीय निकायों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस निधि से शासकीय कर्मचारियों के अनुरूप पेंशन/परिवार पेंशन एवं उपादान का भुगतान किया जा रहा है। नगर निगम रायपुर द्वारा स्वयं की पेंशन योजना संचालित की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश के नगरीय निकायों के पेशंनरों को दिनांक 01.04.07 से मूल पेंशन/परिवार पेंशन के साथ 50 प्रतिशत बराबर महंगाई राहत परिवर्तन कर दिनांक 01.07.08 से 47 प्रतिशत महंगाई राहत जोड़कर भुगतान किया जा रहा है। केन्द्रीय वेतनमान के अनुरूप 10 प्रतिशत अंतरिम राहत नगरीय निकायों के पेंशनरों को 01.09.2008 से दिया जा रहा है। वर्तमान में नगरीय निकायों के सेवानिवृत्त पेंशनर कुल 2995 है एवं प्रतिमाह रूपयें 11644876.00 भुगतान की जाती है। पेंशनरों की संख्या धटती बढ़ती रहती है।

5.2 स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए परिवार कल्याण योजनाः–

शासकीय कर्मचारियों की भांति, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को परिवार कल्याण योजना, अक्टूबर 1987 से अनिवार्य रूप से लागू है। देय मासिक अभिदान श्रेणीवार निर्धारित किया गया है। कर्मचारी की सेवारत रहते हुए मृत्यु होने पर नीचे उल्लेखित दर से, नामांकित व्यक्ति को भुगतान किया जाता हैः–

कमांक	कर्मचारी की श्रेणी	देय अभिदान	भुगतान योग्य राशि
1.	प्रथम	रूपये 240 प्रतिमाह	2,40,000/—
2.	द्वितीय	रूपये 180 प्रतिमाह	1,80,000/—
3.	तृतीय	रूपये 150 प्रतिमाह	1,50,000/—
4.	चतुर्थ	रूपये 90 प्रतिमाह	90,000/—
5.	सफाई कामगार	रूपये 45 प्रतिमाह	45,000/—

पूर्व में प्रभावशील दरों को संक्षेपित करते हुए उक्त दरें माह जून 2003 (पेड इन— जुलाई 2003) से प्रभावशील की गई हैं। नगर पालिका निगम रायपुर अपने कर्मचारियों के लिए इस योजना का कियान्वयन स्वयं कर रहा है।

5.3 सफाई कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना :—

प्रदेश के समस्त नगर पालिक निगमों, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों की नियमित स्थापना में कार्यरत सफाई कामगारों को समूह बीमा योजना में सम्मिलित किया गया है। यह योजना दिनांक 01.06.1999 से भारतीय जीवन बीमा को सौंपी जा चुकी है। इस केंद्र प्रवर्तित योजना का वार्षिक प्रीमियम राशि रूपये 50/— है, जिसमें रूपये 25/— का भुगतान सामाजिक सुरक्षा निधि से भारत सरकार द्वारा तथा शेष रूपये 25/— का अंशदान प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। सेवाकाल में मृत्यु होने पर रूपये 25,000/— का भुगतान जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार स्थायी अपंगता के लिए रूपये 15,500/— का भुगतान भी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमित व्यक्ति को किया जाता है।

5.4 <u>नवीन अंशदायी पेंशन योजनाः—</u>

राज्य शासन द्वारा जारी आदेश क्रमांक 908/सी—761/वि/नि/चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुसार शासकीय कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है। तद्नुसार नगरीय निकायों के कर्मचारियों को दिनांक 01.11.2004 अथवा इसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों के लिए उक्त नवीन अंशदायी पेंषन योजना लागू की गई है। कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति या मृत्यु होने की स्थिति में जमा राशि पर बैंक द्वारा निर्धारित साधारण ब्याज जोड़कर प्रत्येक कर्मचारी को राशि भुगतानी की जाती है।

————::————